शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 14/2252/26-2-2014-100(1)/2013

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मऊ, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रूखाबाद, गोरखपुर, देवरिया, जालौन, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सिद्धार्थ नगर, रामपुर, मुरादाबाद, उन्नाव, मेरठ, बदायूं, सोनभद्र, ललितपुर, कानपुर नगर, इटावा, अलीगढ़, बलिया, हाथरस, कौशाम्बी, कन्नौज, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, आगरा, बॉदा।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 11 सितम्बर, 2014

विषयः- समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त पत्रों की जॉच/स्थलीय सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1731/26-2-2014, दिनांक 25.08.2014 एवं पत्र संख्या-2165/26-2-2014, दिनांक 25.08.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच/स्थलीय सत्यापन का कार्य दिनांक 25.08.2014 तक पूर्ण किये जाने का निर्देश दिया गया था।

2- अवगत कराना है कि दिनांक 09.09.2014 तक की स्थिति के अनुसार आपके जनपद में आवेदन पत्रों की जॉच/सत्यापन का कार्य 50 प्रतिशत से भी कम है, जो कि अत्यन्त असंतोषजनक है। ऐसा परिलक्षित होता है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में आपके द्वारा सम्यक् रूचि नहीं ली जा रही है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 21.06.2014 द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन हेतु समय सारिणी निर्धारित की गई थी, जिसके अन्तर्गत समस्त प्रक्रिया दिनांक 10.11.2014 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण की जानी है। अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि समाजवादी पेंशन योजना के सफल संचालन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच/सत्यापन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करते हुए सूचना शासन एवं निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि समाजवादी पेंशन योजना के संचालन हेतु निर्धारित समय सारिणी में दी

http://shasanadesh.uprtc.in

गई अवधि को अपने स्तर से समायोजित करते हुए समस्त कार्यवाही 10 नवम्बर, 2014 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराये।

3- उल्लेखनीय है कि समाजवादी पेंशन योजना शासन की एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकतापरक योजना है। इस योजना के सफल एवं समयबद्ध संचालन हेतु आप स्वयॅ उत्तरदायी होंगे। अतः योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय तथा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, ताकि लाभार्थियों के चयन हेतु समस्त प्रक्रिया दिनांक 10 नवम्बर, 2014 तक पूर्ण करा ली जाय।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

पृ0संख्या-2252 (1)/26-2-2014-100(1)/2013 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, (नोडल अधिकारी, समाजवादी पेंशन योजना)।
4- सम्बन्धित उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
5- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
6- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

केदारनाथ
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in